सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, , भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर, 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
म.प्र.

विषय– कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21 नवम्बर, 2020 से प्रभावशील व्यवस्था के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भ– गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक 40–3/2020–**DM-I(A)** दिनांक 30.09.2020

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.09.2020 को जारी कोविड गाईडलाईन्स के अनुक्रम में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1 इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा जिला मुख्यालयों में रात्रि 10 बजे से सुबहः 6 बजे तक दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे । जिला कलेक्टर्स नागरिकों से अपील करें कि वह इस समयावधि में अत्यन्त आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबंध उद्योगों पर लागू नहीं होगा ।

2 समस्त कलेक्टर्स सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का इस्तेमाल, अनिवार्य रूप से किया जाये तथा पालन नहीं करने वाले नागरिकों पर जुर्माना अधिरोपित कर विधिवत वसूली तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावे ।

3 कक्षा 1 से 8 तक प्रदेश के समस्त स्कूल 31 दिसम्बर, 2020 तक बंद रहेगें । कक्षा–9 से 12 तक के स्कूली छात्र–छात्रायें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप गाईडेन्स के लिए स्कूल जा सकेंगे ।

4 जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहॉ संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर सकते हैं ।

Scanned with CamScann

5 समस्त कलेक्टर्स जिला क्राईसेंस मैनेजमेंट ग्रुप की जिले में तत्काल बैठक आयोजित करें तथा राज्य शासन को कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में सुझाव आवश्यक रूप से दिनांक 22.11.2020 तक प्रेषित करें ।

(डॉ राजेश राजौरा)
20/11/20
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2, , भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि–

1 सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
2 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 17 अरेरा हिल्स, भोपाल ।
3 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
4 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय गृह मंत्रीजी ।
5 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय ।
6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव– कृपया अपने विभाग से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
7 पुलिस महानिदेशक, म.प्र. ।
8 समस्त संभागायुक्त, म.प्र. ।
9 समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक म.प्र.।
10 समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव
20
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

Scanned with CamScann